

डेडिकेटेड कस्टमर स्पोर्ट मैकेनिज्म से लाभान्वित होते हैं राजस्थान माइक्रोफाइनेंस के ग्राहक

उदयपुर, अप्रैल 2023: आरबीआई-रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपनी महिला कस्टमर के घर तक माइक्रोफाइनेंस लोन की सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएफआईएन/MFIN (आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन और माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन इन इंडिया) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में पूरे भारत में 64 मिलियन महिलाओं ने उद्यम, शिक्षा, जल और स्वच्छता और घर की मरम्मत जैसी जरूरतों के लिए माइक्रो फाइनेंस सर्विस का उपयोग किया है।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन/MFIN) और इसके सदस्य (जो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं) उन लोगों का लोन सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो देश के सामाजिक-आर्थिक पिरामिड की नींव हैं और साथ ही में राजस्थान में एक मजबूत ग्राहक निवारण तंत्र के माध्यम से ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं।

राजस्थान में आरबीआई-विनियमित संस्थाएं, अर्थात् एनबीएफसी-एमएफआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक्स, एनबीएफसी और व्यवसाय प्रतिनिधि, एक दशक से अधिक समय से राज्य में काम कर रहे हैं। वे समाज के निम्न-आय वाले, आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोग जिनके पास अन्य किसी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंच नहीं है को बिना कुछ गिरवी रखे छोटे लोन प्रदान करते हैं।

माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर इनीशिएटिव की नेशनल हेड सुश्री अचला सव्यासाची ने कहा, "राजस्थान में 43 लाख महिलाओं ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए आरबीआई रेगुलेटेड माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से लोन प्राप्त किया है। माइक्रोफाइनेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में वित्तीय जागरूकता पैदा करने एवं लोन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयों के लिए एमएफआईएन/MFIN ने हाल ही में राजस्थान के सभी जिलों के लिए 'आपके साथ, माइक्रोफाइनेंस की बात' को रेडियो पर प्रसारित किया और प्रिंट में प्रकाशित किया।"

माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वालों को यह जानने की जरूरत है कि उनकी शिकायतों को समय पर निवारण प्रदान करने के लिए त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र काम कर रहा है। वे अपनी पासबुक पर टोल-फ्री नंबर पर अपने उधार देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, टोल-फ्री नंबर 18001021080 पर एमएफआईएन एसआरओ से जुड़ सकते हैं या आरबीआई लोकपाल से जुड़ सकते हैं।

राजस्थान में एक मजबूत वित्तीय समावेशन आंदोलन के निर्माण के उद्देश्य से, माइक्रोफाइनेंस संस्थान प्रशासन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और अपने लाखों ग्राहकों के सहयोग से कस्टमर फ्रेंडली माइक्रोफाइनेंस सर्विस के निर्माण की दिशा में लगन से काम कर रहे हैं।

Background Note:

Microfinance Industry: As on September 30, 2022, the microfinance industry served 6.2 crore unique borrowers, through 12.0 crore loan accounts. The overall microfinance industry currently has a total Gross Loan Portfolio (GLP) of INR 3,00,974 Cr. GLP as on September 30, 2022, showed an increase of 23.5 per cent YoY over INR 2,43,737 Cr as on September 30, 2021. The sector comprises RBI-regulated microcredit providers including NBFC-MFIs, Banks, Small



Finance Banks, Business Correspondents, and others.

MFN (Microfinance Institutions Network): MFN is a premier industry association comprising 56 NBFC-MFIs and 44 Associates including Banks, Small Finance Banks (SFBs) and NBFCs. By virtue of bringing all microfinance entities under one common umbrella, MFN acts as a bridge between them and the regulators to build a dialogue for greater transparency, better policy frameworks and stronger client protection standards for responsible lending, thus enabling the microfinance industry to partake in meeting the larger financial inclusion goals.